लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
063/2023 (GCMS 2023/251)	31.08.2023	18.10.2023

अनवान

अखिल तिवारी, निवासी पुराने आईटीआई कॉलेज के पीछे मण्डफिया सॉवलियाजी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(मोबाईल 98293 00218)

अपीलार्थी

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थीगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां से सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 19.06.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र. सं/063/2023(सू.अ.)(20.09.2023)/648 दिनांक 01.09.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कर्मेन्ट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 20.09.2023 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे एवं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/887 दिनांक 11.09.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री अखिल तिवारी, निवासी पुराने आईटीआई कॉलेज के पीछे मण्डफिया सॉवलियाजी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 98293 00218) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 19.06.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना जिला रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थना-पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/101 दिनांक 22.06.2023 से अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगता कराया गया हैं। (पत्र की प्रति संलग्न हैं)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरांत वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से किसी भी प्रकार से कोई लिखित बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुये।

प्रशासनिक एवं चुनाव कार्यो की व्यस्तता से अपील अपीलार्थी के निस्तारण में अल्प कालीन विलम्ब हुआ है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू हैं।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन को आवेदन के संबंध में वांछित हेतु सक्षम लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को अन्तर्गत धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 22.06.2023 को अंतरित कर दिया गया है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त अंतरण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विहित समायवधि में किया जाकर कर आवेदक को सूचित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समयावधि में आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है एवं हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी के अपील आवेदन के संबंध में टिप्पणी/अभिमत चाहा गया हैं, किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी से टिप्पणी/अभिमत प्राप्त नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा किसी भी प्रकार से कोई लिखित टिप्पणी/अभिमत प्राप्त नहीं हुआ हैं। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से जाहिर होता है, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/101 दिनांक 22.06.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समयावधि में अंतरित किया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 22.08.2023 जो कि इस न्यायालय में दिनांक 22.08.2023 को प्राप्त हुआ है जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन की निस्तारण की विहित समयावधि पश्चात् प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2023 में वर्णित सूचना प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समायावधि में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 16.06.2023 जो कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.07.2023 को प्रस्तुत किया गया है एवं जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/101 दिनांक 22.06.2023 से अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को अंतरित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध खारीज की जाकर विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2023 से वांछित सूचना 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ व लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.10.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official